पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक - 5 (प्रथम पारी), मानसरोवर जयपुर, (राज.) पिन -302020
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.5 [1st SHIFT], MANSAROVAR, JAIPUR (RAJ.) PIN-302020
वेबसाइट: www.no5jaipur.kvs.ac.in दूरभाष: 0141-2784141
ई-मेल: kv5jaipurishift@gmail.com

| KVS Station Code: 338 | KVS School Code: 1616 | CBSE Affiliation.No.1700048 | CBSE School no. 14157 |
|---|---|---|---|

पत्रांक 1616/29 /के.वि.क्र.5 जयपुर (प्रथम पारी)/2025-26/ दिनांक :12.03.2026

## संशोधित नीलामी सूचना

सभी को यह सूचित किया जाता है कि इस विद्यालय के पुराने फर्नीचर जो अनुपयोगी घोषित है और इन्हें जहाँ और जैसी ही स्थिति में सार्वजनिक नीलामी बिक्री के माध्यम से बेचा जाना है, दिनांक 12.03.2026 को स्कूल परिसर में नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की गए थी जिसमे पर्याप्त बोलीदाता उपस्थित नहीं होने के कारण निलामी पुनः दिनांक 19.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की जा रही है जो लोग नीलामी में भाग लेने के इच्छुक है, वे विद्यालय में नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं और उसी दिन सुबह 09:00 AM नीलामी के लिए रखी गयी वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेंगे। सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली की राशि तुरंत नियमानुसार जमा करानी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामान को तुरंत अपनी लागत पर उठाना होगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

**नीलामी के लिए नियम और शर्तः**

1. बोलीदाता को अपने व्यक्तिगत पहचान/फर्म का पहचान पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति नीलामी के पूर्व कार्यालय में जमा करवानी होगी।
2. बोली लगाने वाले को बोली में भाग लेने से पहले 1000 रूपये की धरोहर राशि जमा करनी होगी जो नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।
3. समिति द्वारा स्वीकार्य उच्चतम बोली की राशि को मौके पर ही जमा करना होगा, जिससे धरोहर/सुरक्षा राशि समायोजित कर दी जाएगी, नीलाम की गई सामग्री बोलीदाता द्वारा भुगतान करने के तुरन्त बाद उठानी होगी, स्वीकृति के समय बोली की 100% राशि जमा करने में विफलता के मामले में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
4. फर्म के प्रोपराइटर के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा बोली लगाने से पूर्व फर्म के लैटर हेड पर Authorization Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अन्य नियम और शर्त यदि कोई है, समिति द्वारा नीलामी प्रारम्भ होने से पहले घोषित कर दी जाएगी।
6. विद्यालय के नीलामी योग्य सभी वस्तुओं को इसकी नीलामी के लिए एकल स्थान पर रखा जाएगा।
7. समिति बिना किसी भी कारण को बताए, किभी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
8. नीलामी की गई सामग्री बोलीदाता द्वारा भुगतान करने के तुरंत बाद खुद के खर्च पर उठानी होगी।

(राघवेन्द्र लालसन्तानियाँ)
प्राचार्य
प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 5 जयपुर
PM SHRI K.V. No.5 JAIPUR

वितरणः

1. अध्यक्ष,विद्यालय प्रबंधन समिति।
2. समस्त केन्द्रीय विद्यालय जयपुर संभाग।
3. विद्यालय सूचना पटट्।
4. विद्यालय वेबसाइट।